

1314020/15-5-13

पत्र संख्या- फार्म-अनु0 विविध (प्रथम वाल्यूम) डाउनलोडिंग की सुविधा//2013-14// 292 // वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(फार्म अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 15, मई, 2013

// आदेश //

परिपत्र संख्या-फार्म-अनु0विविध (प्रथम वाल्यूम) डाउनलोडिंग की सुविधा / 2012-13/134 /1213070 / वाणिज्य कर, दिनांक 11-12-2012 एवं परिपत्र संख्या-फार्म-अनु0 विविध (प्रथम वाल्यूम) डाउनलोडिंग की सुविधा / 2012-13 / 153 / 1213079/ वाणिज्य कर, दिनांक 28-12-2012 से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली 1957 के नियम-12 में प्राविधानित प्रपत्र-सी को विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। अब तक लागू व्यवस्था में प्रत्येक जोन में एडीशनल कमिशनर द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा फार्म-सी डाउनलोड किया जाता है तथा दूसरे नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके आवश्यकतानुसार व्यापारियों को जारी करने हेतु खण्ड कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। कतिपय बड़े जोन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त व्यवस्था में नामित अधिकारियों के अवकाश पर जाने की स्थिति में कार्य बाधित होता है।

2-अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त उक्त आदेश को इस सीमा तक परिमार्जित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु जोनल एडीशनल कमिशनर द्वारा प्रत्येक सम्भाग में एक अधिकारी को फार्म-सी डाउनलोड करने के लिए तथा दूसरे अधिकारी को फार्म-सी पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित किया जायेगा। इस प्रकार अब प्रत्येक सम्भाग में फार्म-सी डाउनलोड करके नियमानुसार वितरित किया जायेगा ताकि फार्म-सी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

आदेश दिनांक 11-12-2012 एवं आदेश दिनांक 28-12-2012 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तदनुसार उक्त नामित अधिकारियों के मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराते हुए साफ्टवेयर में संशोधन कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

यह आदेश कमिशनर वाणिज्य कर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(बी0राम शास्त्री)

एडीशनल कमिशनर

वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर/ मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 2- निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
- 3- उभय संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

- 4- मुख्यालय के समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर ।
- 5- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया इस व्यवस्था से समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ।
- 6- ज्वाइंट कमिश्नर (आईटी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि कृपया फार्म-सी की डाउनलोडिंग की व्यवस्था में उक्त आदेश को क्रियान्वित कराने का कष्ट करें ।
- 7- मुख्यालय के फार्म, सचल दल, वि0अनु0शा0, मैनुअल, नई इकाई, जनसूचना, केन्द्रीय सचल दल इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


(आर0के0 पाण्डेय)

ज्वाइंट कमिश्नर (फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

